

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, I.A.S.

पत्रावली संख्या : 05/12 (अपील)

प्रकरण दर्ज दिनांक : 06.03.2012

निर्णय दिनांक : 18.12.2019

अनवान्

1. श्रीमती हुडीबाई पत्नी स्व. भंवरलाल उर्फ भंवरू गाडरी निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
2. श्रीमती कंकु पुत्री स्व. भंवरलाल उर्फ भंवरू पत्नी रूपलाल गाडरी निवासी बोरडा, मजरा गुडली तह. मावली।
3. श्रीमती लीला पुत्री स्व. भंवरलाल उर्फ भंवरू पत्नी रामलाल गाडरी निवासी आनन्दपुरा, चडा की तलाई तह. मावली।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रामा पिता कालु गाडरी निवासी तुलसीदास जी की सराय तह. मावली।
2. श्रीमती भाग्यवन्ती पत्नी दिनेश परमार जैन निवासी हिरणमगरी सेक्टर न. 6 उदयपुर।
3. ग्राम पंचायत गुडली जरिये सरपंच महोदय ग्राम पंचायत गुडली तह. मावली।

.....रेस्पोजेन्ट्स

उपस्थित—1. श्री अशोक सेन, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।

2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट सं. 2


अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय ग्रा.प. गुडली, बाबत ना. सं. 432 दि. 20.12.2011

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 18.12.2019

1. अपीलान्ट्स द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपील निर्णय ग्राम पंचायत गुडली बाबत् नामान्तरण संख्या 432 दिनांक 20.12.2011 के विरुद्ध मय धारा 5 अवधि अधिनियम के साथ प्रस्तुत की गई। अपील के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की पैतृक कृषि भूमियां राजस्व ग्राम मोतीखेडा पटवार हल्का गुडली तह. मावली में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 2802, 2803, 2805, 2809, 2810, 2814, 2816, 2831, 2837, 2838, 2849, 4567/2812, 4568/2812, 2794 कित्ता 14 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा स्थित हैं।
2. यह कि अपीलान्ट व रेस्पोजेन्ट रामा का वंश वृक्ष निम्नानुसार है :-



3. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमियां मौरूसी (पैतृक होकर) श्री रामा के पिता श्री कालु के पूर्वजों के समय से उत्तराधिकार से चली आ रही हैं। दिनांक 18.07.1987 को भंवरू जो कि अभियुक्त रामा का पुत्र था का निधन हो गया है। श्री भंवरू के निधन के पश्चात् उत्तराधिकार के अनुसार उसके हिस्से की भूमियों का स्वत्व अपीलान्त को न्यगमित हुआ।
4. यह कि रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा परिवार का मुखिया होने से अपीलान्त के हिस्से की कृषि भूमियां रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा के नाम पर ही अंकित होने के कारण रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा में न्यासित थी। किन्तु रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा का आशय उक्त भूमियों को हडपने का होने के कारण अपीलान्त द्वारा उक्त भूमियों में अपने हिस्से की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का एक वाद सहायक कलेक्टर महोदय मावली में प्रस्तुत किया है तथा साथ ही एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत किया है। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.04.2010 को उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात को बेचान नहीं करने बाबत् रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा व अन्य को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया। उक्त प्रकरण में रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा की ओर से दिनांक 12.07.2010 को पेरवी हेतु अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया एवं तब से निरन्तर न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा को बढ़ाया गया है जो आज दिवस तक प्रभावी है। उक्त कृषि भूमियों अपीलान्त का हिस्सा रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा में विधिवत् न्यासित होने एवं उक्त कृषि भूमियां रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा के नाम पर ही राजस्व अभिलेख में अंकित होने के कारण रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा के मन में बदयान्ति आ गई व रेस्पोजेन्ट सं. 1 रामा ने अपीलान्त के हिस्से की कृषि भूमियां जो कि उसमें न्यसित थी को न्यायालय का स्थगन होते हुए भी जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.09.11 के रेस्पोजेन्ट सं. 2 को विधि विरुद्ध रूप से विक्रय कर दिया है। जबकि रेस्पोजेन्ट सं. 1 को उसके निहित पैतृक हिस्से से अधिक भूमियां विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था। विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जब अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट सं. 1 के मध्य वाद लम्बित हो एवं अस्थाई निषेधाज्ञा से रेस्पोजेन्ट सं. 1 वादग्रस्त भूमियों को बेचान नहीं करने से पाबंद हो। इसके पश्चात् भी रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा रेस्पोजेन्ट सं. 2 व 3 के साथ मिलीभगत कर वादग्रस्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 2794 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा भूमि का नामान्तरण रेस्पोजेन्ट सं. 2 के पक्ष में दिनांक 20.12.2011 को अपीलान्त को बिना सूचित किये अपीलान्त की अनुपस्थिति में नामान्तरण निर्णित करा दिया जो कि प्रारम्भतः विधि विरुद्ध होकर चलने योग्य

- नहीं है तथा पैन्डेट लिट के सिद्धान्त के अनुसार भी न्यायालय के स्थगन एवं वाद लम्बित होने के कारण भी उक्त आलोच्य नामान्तरण निरस्तनीय हैं।
5. यह कि उक्त कृषि भूमियों पर अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी उप पंजीयक महोदय मावली जो कि तहसीलदार मावली की हैसियत से न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय मावली में लम्बित अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट सं. 1 के मध्य वाद मे पक्षकार होने से एवं उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा की जानकारी होने के कारण रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा उक्त आराजी नम्बर 2794 का पंजीकृत विक्रय पत्र उप पंजीयक महोदय द्वितीय, उदयपुर के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया एवं उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की कलम सं. 15 में रेस्पोजेन्ट सं. 1 द्वारा तथाकथित रूप से उक्त आराजीयात बाबत् किसी भी सिविल अथवा राजस्व न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होना व वाद विचाराधीन नहीं होना कथित किया है जो कि रेस्पोजेन्ट के विधि विरुद्ध रूप से किये गये अन्तरण को अकाट्य रूप से सिद्ध करता है एवं इस प्रकार निष्पादित किया गया विक्रय पत्र प्रारम्भ से रद्द, शून्य व बेअसर हैं।
 6. यह कि आलोच्य नामान्तरण आदेश प्रदान करते समय न तो अधिनस्थ ग्राम पंचायत गुडली द्वारा अपीलान्त को कोई सूचना तक नहीं दी गई जबकि तहसीलदार महोदय के प्रतिनिधि के रूप में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण भरा गया था एवं तहसीलदार महोदय, मावली न्यायालय सहायक कलक्टर महोदय, मावली में चल रहे अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट सं. 1 के मध्य चल रहे वाद में पक्षकार हैं। इसके बावजूद भी अपीलान्त की अनुपस्थिति में बगैर उन्हे सूचित किये गये नामान्तरण निर्णित कर दिया गया। जिससे अपीलान्त के हित प्रभावित होने के कारण अपीलान्त यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जिसकी स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
 7. यह कि आलोच्य नामान्तरण आदेश ग्राम पंचायत गुडली द्वारा पारित होने के कारण ग्राम पंचायत गुडली को आवश्यक पक्षकार होने के कारण रेस्पोजेन्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है अन्यथा ग्राम पंचायत गुडली के विरुद्ध कोई दाद नहीं चाही गई हैं।
 8. यह कि हाल ही में जब रेस्पोजेन्ट सं. 2 मौके पर जबरन कब्जा करने की नियत से आये तब अपीलान्त द्वारा पटवारी से नामान्तरकरण की नकल दिनांक 24.02.2012 को प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं अपीलान्त सं. 1 विधवा एवं अनपढ महिला होकर दिनांक 24.02.2012 को अपीलान्त को उक्त आलोच्य नामान्तरण की जानकारी हुई तथा नामान्तरकरण में भी विधि विरुद्ध रूप से न्यायालय का स्थगन होने के बावजूद भी निर्णित किया गया फिर भी देरी क्षम्य फरमाने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हैं।
 9. अतः माननीय न्यायालय से अत्यधिक विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत गुडली के नामान्तरकरण सं. 432 दिनांक 20.12.2011 को निरस्त फरमाया जाकर रिकार्ड की पूर्ववत् स्थिति कायम फरमाई जावें। अपील के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

10. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोजेन्ट सं. 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।
11. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं नामान्तरकरण विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि नामान्तरकरण सही पारित किया गया है किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। इसलिए अपील खारिज किया जाने का निवेदन किया।
12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तरकरण सं. 432 दिनांक 20.12.2011 को ग्राम पंचायत गुडली द्वारा पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का भी प्रस्तुत किया हैं। अपीलान्ट द्वारा जानकारी में आते ही उक्त अपील अन्दर मयाद न्यायालय में प्रस्तुत करना बताया हैं। अतः जानकारी से अपील अन्दर मयाद होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा कथन किया कि भूमि का घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है जिसमें दिनांक 19.04.2010 से न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को बेचान नहीं करने बाबत रेस्पोजेन्ट सं. 1 व अन्य को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया हैं। इसके बावजूद रामा ने भूमि का विक्रय रेस्पोजेन्ट सं. 2 को कर दिया हैं। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचित किये ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में नामान्तरकरण को निर्णित कर दिया है जो विधि विरुद्ध हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अवलोकन से अपीलान्ट द्वारा दस्तावेज स्वरूप नामान्तरकरण की नकल प्रस्तुत कर रखी हैं एवं साथ की वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हैं। जिससे अपीलान्ट के कथन अनुसार न्यायालय से वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने का ज्ञान हो। अपीलान्ट द्वारा बिना कोई दस्तावेज के केवल मात्र लिखित कथनों के आधार पर यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में न्यायालय के स्थगन का अंकन किया हैं जबकि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में कही भी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के प्रकरण सं. अनवान आदि का उल्लेख नहीं किया हैं न ही स्थगन का कोई आदेश संलग्न किया हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में भी किसी प्रकार का स्थगन का अंकन किया हुआ नहीं हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट अपनी अपील में यह कही भी साबित नहीं कर पाया कि किस न्यायालय के किस प्रकरण के तहत कौनसी आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा रेकार्ड अथवा मौके किस प्रकार की जारी हुई है यह भी दस्तावेज के अभाव में साबित नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर पारित किया हैं। उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

13. अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 432 दिनांक 20.12.11 को यथावत् रखा जाता है।
14. पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

